न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारीः— मूलचन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00233 (113/2018)

गणपत पुत्र श्री निकिया उर्फ सुखराम जाति मेघवाल निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

---अपीलांट

बनाम

1. सुखा सिंह } पिसरान बुटा सिंह जाति मेघवाल निवासी मक्कासर तहसील व
2. करतार सिंह } जिला हनुमानगढ़।
3. रामलाल दत्तक पुत्र लाधुराम } जाति मेघवाल निवासी मक्कासर
4. औमप्रकाश } पिसरान निकिया उर्फ सुखराम } तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. रामनारायण }
6. कलावती पत्नि बीरबलराम जाति मेघवाल निवासी देवनगर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. राधा देवी पत्नि रणजीत जाति मेघवाल निवासी देवनगर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. मुखी देवी पत्नि विजयपाल जाति मेघवाल निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9. सुमित्रा पत्नि स्व. श्री भागीरथ } जाति मेघवाल निवासी मक्कासर तहसील व
10. मनोहर पुत्र स्व. श्री भागीरथ } जिला हनुमानगढ़।
11. विधा पुत्री स्व0 भागीरथ पत्नि मदनलाल जाति मेघवाल निवासी दानेवाला तहसील व जिला श्री गंगानगर।
12. केसर पुत्री स्व0 भागीरथ पत्नि श्री विनोद कुमार जाति मेघवाल निवासी खिंफावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
13. प्रभुदयाल पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
14. रोशनी पुत्री स्व. दानाराम पत्नि बृजलाल जाति मेघवाल निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
15. रामप्रताप पुत्र बृजलाल जाति मेघवाल निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
16. सुरेश } पुत्र, पुत्रियां स्व0 भागवंती पुत्री स्व0 बृजलाल नाबालिगान जरिये
17. सुमन } प्राकृतिक संरक्षक श्री महावरी पिता नाबालिगान निवासी ताखरावाली
18. ममता } तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हनुमानगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स/प्रार्थीगण

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2018 प्रकरण सं0 253/2013
बअदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़

उपस्थितिः—
श्री विजय कौशिक, अभिभाषक अपीलांट
श्री खुशप्रीत सिंह संधू, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णयः— दिनांकः— 09.05.2019

1. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं0 1 व 2 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 53 आरटी एक्ट पेश कर चक नं0 1 एम ओ डी खाता सं0 44/37 में वर्णित 7.590 है0 एवं चक नं0 5 जे आर के खाता सं0 78/31 में वर्णित 3.542 है0 है, जिसका घरेलु बंटवारा काफी अरसा पूर्व होना बताया तथा मुताबिक घरेलु बंटवारा व कब्जा कास्त अनुसार खाता एवं लगान अलग अलग कायम करवाने हेतु पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा काउण्टर क्लेम पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादी गण के काउण्टर क्लेम पर तनकियात कायम कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वादीगण के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम प्राथमिक डिक्री किये जाने के आदेश दिये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पों सं 1 व 2 ने पूर्व में हो चुके घरेलु बंटवारा एवं कब्जा काश्त के अनुसार अलग अलग खाता विभाजन हेतु दावा पेश किया। जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा काउण्टर क्लेम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के वाद पत्र व प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम के आधार पर तनकियात कायम कर साक्ष्य के आधार पर निर्णय किया। प्रश्नगत कृषि भुमि चक नं0 5 जेआरके के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा घरेलू बंटवारा का जो आलम किया गया था वह किसी भी प्रकार से साबित न होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किये जाने के आदेश दिये गये जो विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल खारिजी के है। अपीलांट यानी प्रतिवादी सं0 2/1 ता 2/3 व 2/7/1 ता 2/7/3 के द्वारा विरासतन घोषणा की जाकर खाता तकसीम की इस्तदुआ चाही गयी थी जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में तनकी सं0 4 कायम की गयी तथा प्रतिवादीगण द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वारिस प्रमाण पत्र तथा दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया गया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं0 4 का निर्णय पैंडिग रखने के आदेश दिये गये है जो काबिल खारिज है। अपीलांट यानी प्रतिवादी सं0 2/1 ता 2/3 व 2/7/1 ता 2/7/3 द्वारा तनकी सं0 2 व 3 को साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य शुद्धकार खसरा गिरदावरी व अन्य साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये जिसके मुताबिक घरेलू बंटवारा व कब्जा कास्त अपीलांट व प्रतिवादी सं0 2/1 व 2/3, 2/7/1 ता 2/7/3 का साबित होते हुऐ भी तनकी सं0 2 व 3 का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादीगण किया गया है जो कतई विधि विरूद्ध एवं गलत है। अतः अपीलाधीन निर्णय कतई विधि विरूद्ध एवं गलत होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।
4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 सं0 1 व 2 ने केवल खाता विभाजन का दावा पेश किया था। राजस्व रिकार्ड एवं घरेलु बंटवारें में प्राप्त भूमि को दर्शाते हुए बंटवारा के आधार पर खाता विभाजन करने हेतु वाद पेश किया था, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी का विशेष हिस्सा प्राथमिक डिक्री में अंकित नहीं किया है। मौके पर संयुक्त भूमि में कब्जाकाश्त जो रहा है उसके अनुसार नियम 19 के अनुसार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रस्ताव प्राप्त होंगें उसके अनुसार अंतिम निर्णय पारित होगा। नियम 18 से 21 के अनुसार प्रस्ताव आने पर निर्णय होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री उचित है, अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन एवं अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने से स्पष्ट है कि प्रकरण में तनकीयात कायम कर साक्ष्य हेतु रखी जानी थी। दिनांक 19.02.2018 को तनकी कायम की गई एवं साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 05.03.2018 को निर्धारित की गई, तत्पश्चात दिनांक 19.02.2018 को ही प्रतिवादी के अधिवक्ता ने दस्तावेज पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। आगामी तिथि 05.03.2018 बहस सुनी जाकर निर्णय हेतु निर्धारित की गई। प्रकरण में उक्त बहस के आधार पर दिनांक 28.03.2018 को अपीलाधीन निर्णय/प्राथमिक डिक्री जारी की गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों के हिस्से का निर्धारित किया जाना था एवं वादीगण के दावे और प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत अलग अलग जवाब मय काउण्टर क्लेम के संबंध में दस्तावेज/साक्ष्य एवं बयान लिये जाकर उसके आधार पर उसका परीक्षण करते हुए निर्णय पारित किया जाना था। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी एवं प्रतिवादीगण की तनकी को भी साबित नहीं माना तथा तनकीयों के निर्धारण का कोई भी आधार अंकित नहीं किया। जब विभाजन के दावे में घरेलू विभाजन/आपसी सहमती से विभाजन को अंकित करते हुए वादी तथा प्रतिवादीगण द्वारा काउण्टर क्लेम पेश किया गया हो तो उसके संबंध में दस्तावेज संबंधी साक्ष्य एवं मौखिक बयान अभिलिखित करते हुए, उसका परिक्षण करते हुए दावे में विभाजन बाबत हिस्सा निर्धारित कर वाद और काउण्टर क्लेम के संबंध में सपष्ट विवेचन के आधार पर निर्णय करना चाहिए था। पत्रावली में प्रस्तुत एवं शामिल दस्तावेजों में इन्हीं पक्षकारों एवं अन्य के मध्य एक विभाजन का वाद अनवानी सुखासिंह वगैरा बनाम भागीरथ वगैरा वाद सं0 89/12 बाबत घोषणा खाता विभाजन भी जैरकार रहा है। जिसमें इसी वाद की भूमि विषय वस्तु थी, उसमें विभाजन की क्या कार्यवाही हुई, इसका भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्णतः सरसरी तौर पर विभाजन की डिक्री जारी की है, जो उचित नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त कर वापिस रिमांड किया जाता है वाद के सभी विवाद बिन्दुओं पर साक्ष्य लेते हुए सभी पक्षकारों के हिस्सों का निर्धारित कर वादीगण के वाद एवं काउण्टर क्लेम के संबध में सपष्ट निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। उभयपक्ष में अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.07.2019 को पेश हो। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

09/5/19

(मूलचन्द)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official